

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
सिविल अपीलीय अधिकारिता

सिविल अपील सं. 1474/2019
(एस.एल.पी.(सिविल) सं. 12393/2013 से उद्भूत)

यूनियन ऑफ़ इंडिया एवं अन्यअपीलार्थी(यों)

बनाम

श्री हरानंदा एवं अन्यप्रत्यर्थी(यों)

सहित

सिविल अपील सं. 1475-81/ 2019
(एस एल पी (सिविल) सं. 35548-35554/2015 से उद्भूत),

सिविल अपील सं. 1482/2019
(एस एल पी (सिविल) सं. 13937/2016 से उद्भूत)

एस एल पी (सिविल).....सीसी सं. 5735/2016
एस एल पी (सिविल).....सीसी सं. 5736/2016
एस एल पी (सिविल).....सीसी सं. 5737/2016
एस एल पी (सिविल).....सीसी सं. 5738/2016
एस एल पी (सिविल).....सीसी सं. 5743/2016
एस एल पी (सिविल).....सीसी सं. 5742/2016
एस एल पी (सिविल).....सीसी सं. 5740/2016

निर्णय

एम.आर.शाह,जे.

1. SLP (सिविल) सं. 12393/2013, 35548-35554/2015 एवं 13937/2016 में अनुमति प्रदान की जाती है | इन सभी अपील का निपटान इस सर्वनिष्ठ निर्णय द्वारा किया जा रहा है।
2. रिट याचिका (सी) सं. 6314/2012 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.12.2012 को पारित आदेश तथा आक्षेपित निर्णय से व्यथित तथा खिन्न होकर, यूनियन

ऑफ़ इंडिया एवं अन्य ने सिविल अपील @ एस एल पी (सिविल) संख्या 12393/2013 प्रस्तुत की है।

2.1 रिट याचिका (सी) सं. 153/2013 एवं अन्य सम्बंधित रिट याचिकाओं में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.09.2015 को पारित आदेश तथा आक्षेपित निर्णय से व्यथित तथा खिन्न होकर, यूनियन ऑफ़ इंडिया एवं अन्य ने सिविल अपील @ एस एल पी (सिविल) संख्या 35548-35554/2015 प्रस्तुत की है।

2.2 रिट याचिका (सी) सं. 3529/2015 रिट याचिकाओं में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.12.2015 को पारित आदेश तथा आक्षेपित निर्णय से व्यथित तथा खिन्न होकर, यूनियन ऑफ़ इंडिया एवं अन्य ने सिविल अपील @ एस एल पी (सिविल) संख्या 13937/2016 प्रस्तुत की है।

SLP(सिविल)संख्या 12393/2013 से उद्भूत सिविल अपील

3. रिट याचिका (सी) सं. 6314/2012 में दिनांक 04.12.2012 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा आक्षेपित निर्णय से उद्भूत एस एल पी (सिविल) सं. 12393/2013 से उद्भूत सिविल अपील के तथ्य निम्नलिखित हैं:-

3.1 मूल रिट याचिकाकर्ताओं जो RPF में ग्रुप 'ए' पद पर अधिकारीगण है जिन्होंने निम्नलिखित राहत /प्रार्थना के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में रिट याचिका फाइल की।

(क) परमादेश रिट जारी करके प्रत्यर्थी(यों) को निश्चित समय के भीतर व्यवस्थित तौर पर RPF को गठित करने के लिए औपचारिकतायें पूरी के लिये निर्देशित करना एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा पहले से ही अनुमोदित RPF भर्ती नियमों को लागू करके हितों को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करना जो प्रत्यर्थी संख्या 2 को दिनांक 01.03.2005 पत्र द्वारा सूचित है और सभी प्रकार से ग्रुप 'A' रेलवे अधिकारियों को सिविल सेवा परीक्षा द्वारा भर्ती हुए समझना ।

(ख) प्रत्यार्थियों को आगे निर्देशित करना कि याचिकाकर्ताओं की सभी पूर्वव्यापी नीति परिपत्रों को लागू करना जो अन्य ग्रुप 'ए' रेलवे सेवाओं को उनके साथियों के समान लाने के सम्बन्ध में मान्य है एवं याचिकाकर्ताओं एवं अन्य समान अधिकारियों को उस आधार पर पिछले वेतन को सहित सभी हितों के साथ पदोन्नति प्रदान करना ।

(ग) अभिलेखों को मंगाने हेतु उत्प्रेषण-लेख रिट जारी करना एवं अन्य/निर्देश (उन सूचना पत्रों को सम्मिलित करके, जो याचिकाकर्ता के लिए नहीं है, यदि कोई, जिसके द्वारा, प्रत्यार्थियों ने वैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध RPF की रिक्ति को प्रतिनियुक्ति के द्वारा भरने की प्रक्रिया आरम्भ की थी एवं तत्पश्चात समान को समाप्त कर दिया।

3.2 यह मामला मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से था कि सभी रिट याचिकाकर्ता जो रेलवे सुरक्षा बल (जिन्हें RPF कहा गया है) में ग्रुप 'ए' पदों पर अधिकारी हैं तथा सभी UPSC के द्वारा होने वाली सिविल परीक्षा सहित 15 अन्य ग्रुप 'ए' केन्द्रीय सेवाओं जिनमें ग्रुप 'ए' रेलवे सेवाओं जैसे भारतीय रेलवे ट्रेफिक सेवा, भारतीय रेलवे लेखा सेवा एवं भारतीय रेलवे कर्मचारी सम्बन्धी विभाग द्वारा भर्ती थे । रिट याचिकाकर्ताओं के अनुसार, भारत सरकार द्वारा गज़ट अधिसूचना के अनुसार, जिसके आधार पर UPSC परीक्षा का संचालन करता है, इन सभी रेलवे सेवाओं को आपस में समान रखा जाता है। मूल रिट याचिकों के द्वारा अधिसूचना एवं नियुक्ति का प्रस्ताव एवं रेलवे संरक्षण बल अधिनियम, 1957 (संक्षेप में RPF अधिनियम, 1957) स्पष्ट रूप से RPF अधिकारियों को रेलवे कर्मचारी के तौर पर निर्धारित करता है इसके अतिरिक्त रेलवे कर्मचारी पर भारतीय रेलवे स्थापना संहिता मान्य होगी, RPF अधिकारियों पर RPF अधिनियम एवं RPF नियम, 1959 एवं नए RPF नियम, 1987, भर्ती नियम 1981 एवं 1994 में सम्मिलित प्रावधान लागू होंगे ।

3.3 यह मामला मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से था कि रेलवे मंत्रालय के द्वारा लिया गया एकरूप निर्णय कि RPF अधिकारियों में संगठित सेवा की सभी विशेषतायें है एवं उनको संगठित सेवा के तौर पर नियुक्त करना चाहिए। मूल प्रत्यर्थी संख्या 1- यूनियन ऑफ़ इंडिया द्वारा रेलवे मंत्रालय एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (संवर्ग पुनरीक्षण खंड) (संक्षेप में DoPT) ने एक अथवा अन्य कारणों से , इस सम्बन्ध में अंतिम फैसला लिया गया है जिसके

परिणामस्वरूप RPF अधिकारियों की बड़े पैमाने पर, रिट याचिकाकर्ताओं की तरह, प्रत्येक रैंक में गतिरोध है।

3.4 मूल रिट याचिकाकर्ताओं की तरफ से यह कथन था कि 1981 से 1996 तक RPF अधिनियम सहित नियमों में भिन्न संशोधन लाये गए जिनके द्वारा आरम्भ में प्रतिनियुक्ति का भाग घटा दिया गया था तथा अन्त में RPF नियमों, भर्ती नियम में संशोधन द्वारा तथा मुख्य अधिनियम, 1957 में संशोधन लाकर, संशोधन अधिनियम की धारा 19 द्वारा वर्तमान अधिकारियों को जो प्रतिनियुक्ति पर थे, दो विकल्प देकर या तो उनके मूल संवर्ग में वापस भेजकर अथवा सेवानिवृत्ति स्वीकार करके प्रतिनियुक्ति से विवर्जित किया गया।

3.5 मूल रिट याचिकाकर्ताओं के अनुसार, रेलवे बोर्ड के द्वारा वर्ष 1986 में RPF को संगठित सेवा के तौर पर गठित करने का सैद्धांतिक फैसला लिया गया एवं मामले को DoPT के (संवर्ग पुनरीक्षण खंड) को अनुमोदन के लिए भेजा गया। मूल रिट याचिकाकर्ताओं के अनुसार, तत्पश्चात, रेलवे मंत्रालय ने ओ.एम. दिनांक 12.07.2001 द्वारा RPF को संगठित सेवा के तौर पर जिसे भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नाम से जाना जाता है, विचार के लिए प्रस्ताव को अग्रेषित किया। मूल रिट याचिकाकर्ताओं के अनुसार, तत्पश्चात, DoPT के (संवर्ग पुनरीक्षण खंड) ने सभी पक्षों पर विचार किया, सूचना पत्र द्वारा दिनांक 20.11.2003 को मुख्य रूप से आर पी एफ को संगठित ग्रुप 'ए' केन्द्रीय सेवा के तौर पर अनुमोदित करने के लिए संप्रेषित किया था (संक्षेप में 'OGACs')। मूल रिट याचिकाकर्ताओं के अनुसार, तत्पश्चात, रेलवे मंत्रालय ने, सक्षम प्राधिकारी होने के नाते रेलवे मंत्रालय के अनुमोदन के पश्चात् सूचना पत्र दिनांक 01.03.2005 द्वारा अन्य संगठित ग्रुप 'ए' रेलवे के केन्द्रीय सेवाओं की तरह भर्ती नियमों के ड्राफ्ट को भारतीय रेलवे सुरक्षा बल हेतु अग्रेषित किया। मूल रिट याचिकाकर्ताओं के अनुसार, तत्पश्चात, 2005-2010 के दौरान, RPF अधिकारियों की सेवा शर्तों को सुधारने के लिए एवं उन्हें अन्य रेलवे सेवाओं को बराबर लाने के लिए आवश्यक परिवर्तनों हेतु विभिन्न कदम उठाये गये परन्तु कोई अर्थपूर्ण हल नहीं निकल पाया जिसके कारण RPF अधिकारियों जैसे रिट याचिकाकर्ताओं को समान पद पर स्थिर रहे एवं प्रभावित रहे।

3.6 मूल रिट याचिकाकर्ताओं के अनुसार, रेलवे बोर्ड ने समस्या के निपटान के लिए कई मीटिंग्स की, परन्तु कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये एवं मूल प्रत्यर्थी निरंतर उपलब्ध रिक्तियों को प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों द्वारा भरते रहे और यहाँ तक की जब योग्य अधिकारी उपलब्ध थे एवं बल (Force) में वैधानिक प्रतिबन्ध के बावजूद तत्पश्चात मूल रिट याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय में गये तथा उपरोक्त राहतों की प्रार्थना की।

3.7 कि आक्षेपित निर्णय एवं आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने, ओ.एम दिनांक 20.11.2003 पर विचार तथा सूचित करने के बाद जिसके द्वारा आर पी एफ को ग्रुप 'ए' केन्द्रीय सेवा के तौर पर गठित करने का मुख्य निर्णय लिया गया था, निर्देशित किया कि RPF की संगठित ग्रुप 'ए' केन्द्रीय सेवाओं के सन्दर्भ में सेवा नियमों के तौर पर RPF की आवश्यक संवर्ग संरचना छः महीने के भीतर पूर्ण हों। उच्च न्यायालय ने आगे पुनर्विलोकन किया एवं कैबिनेट सचिव को निर्देशित किया कि तीन निकायों जैसे UPSC , DoPT एवं रेलवे मंत्रालय से एक नोडल अधिकारी का नामांकन करना।

3.8 दिनांक 04.12.2012 के आक्षेपित निर्णय तथा आदेश में सम्मिलित निर्देशों से खिन्न तथा व्यथित होकर यूनियन ऑफ़ इंडिया एवं अन्य ने वर्तमान अपील दायर की।

4. श्री अमन लेखी, विद्वान ASG यूनियन ऑफ़ इंडियन के पक्ष की तरफ से प्रस्तुत हुए हैं, श्री पी. एस. पटवालिया, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रत्यार्थियों –मूल रिट याचिकाकर्ताओं के पक्ष की तरफ से प्रस्तुत हुए हैं- एवं श्री लूथरा, विद्वान अधिवक्ता भारतीय पुलिस सेवा केंद्रीय संस्था के पक्ष की तरफ से प्रस्तुत हुए हैं।

4.1 श्री लेखी, विद्वान ASG यूनियन ऑफ़ इंडिया के पक्ष की तरफ से प्रस्तुत हुए हैं, ने पुरजोर कहा कि उच्च न्यायालय ने DoPT के ओ.एम दिनांक 20.11.2003 में RPF को ग्रुप 'ए' संगठित सेवा के तौर पर गठित करने हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा स्वीकृत "सैद्धांतिक" अनुमोदन पर विश्वास करके परमादेश जारी करके वस्तुतः गलती की है। यह तीव्रता के साथ निवेदन किया कि उच्च न्यायालय का इस निष्कर्ष पर पहुँचना कि सैद्धांतिक" अनुमोदन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा स्वीकृत था, एक गलती है क्योंकि समान ओ.एम विशेषतः पैरा 2 में निर्धारित है कि प्रस्ताव एक सामान्य संवर्ग पुनरीक्षण प्रस्ताव की तरह कार्मिक एवं

प्रशिक्षण विभाग द्वारा आगे की कार्यवाही के अनुमोदन के लिए संवर्ग पुनरीक्षण समिति के समक्ष जाएगा।

4.2 आगे यह निवेदन किया की यहाँ तक की उपरोक्त प्रस्ताव रेलवे मंत्रालय द्वारा दिनांक 12.07.2001 की स्पष्ट रूप से मिथ्या ओ.एम पर भी आधारित था जिसमें यह गलत वर्णन था कि RPF में अगले निचले ग्रेड से प्रशासनिक ग्रेड पदोन्नति द्वारा भरे हुए हैं। श्री लेखी विद्वान ASG ने भिन्न ग्रेड तथा समान पदों को न्यायालय के ध्यान में लाया । यह निवेदन किया कि भिन्न प्रकार के ग्रेड हैं 1. उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड 2. वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 3. कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 4. वरिष्ठ टाइम स्केल 5. कनिष्ठ टाइम स्केल ।1993 के मोनोग्राफ (परिपत्र) में अपेक्षित था कि सभी पदों कनिष्ठ टाइम स्केल से वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड पदोन्नति द्वारा भरे होने चाहिए। यह निवेदन किया कि RPF द्वारा यह पूरा नहीं किया गया क्योंकि DIG एवं IG के पदों पर प्रतिनियुक्ति के लिए प्रावधान है।

4.3 श्री लेखी, विद्वान ASG ने यह निवेदन किया कि संवर्ग पुनरीक्षण समिति ने अपनी मीटिंग दिनांक 02.03.2008 में मामले को RPF के प्रस्ताव को संवर्ग पुनरीक्षण के लिए समिति के सचिवों को निदेशित किया । यह निवेदन किया कि समिति के सचिवों ने दिनांक 05.09.2007 को अपनी मीटिंग में RPF के संवर्ग पुनरीक्षण की दो समस्याओं तथा RPF को OGACs के स्वीकृत दर्जा देने की मुद्दों के निपटान का निर्णय किया । यह निवेदन किया जाता है कि मीटिंग के मिनट्स, यह विशेषतः वर्णन किया गया कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का सचिव रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के साथ सलाह करेगा। यह निवेदन किया जाता है कि RPF का विशेषतः OGACs के रूप में गठन नहीं किया गया था। यह निवेदन किया जाता है कि दिनांक 30.11.2007 के अनुसार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने RPF को ग्रुप 'ए' संगठित सेवा के तौर पर गठित करने हेतु एवं पदोन्नति के अवसर के पहलू के बारे में बताने हेतु रेलवे बोर्ड को संशोधित संवर्ग पुनरीक्षण प्रस्ताव को भेजने के लिए निवेदन किया था। यह निवेदन किया जाता है कि तत्पश्चात प्रस्ताव रेलवे मंत्रालय द्वारा दिनांक 07.03.2013 को अग्रेषित किया गया था तथा इसे व्यय विभाग के साथ सलाह करके जांच पड़ताल की गई। यह निवेदन किया जाता है कि प्रस्ताव का संवर्ग पुनरीक्षण समिति के द्वारा दिनांक 29.07.2013 को विचार किया गया

एवं 6th CPC की सिफारिशों तथा गृह मंत्रालय के द्वारा अभिव्यक्त प्रयोजन को विचार में रखते हुए समिति ने OGACs के प्रास्थिति की सिफारिश नहीं की।

4.4 आगे यह निवेदन किया जाता है की किसी भी घटना में, RPF 1993 के मोनोग्राफ में विशेषता (IV) अथवा O.M. दिनांक 19/20.11.2009 को संतुष्ट नहीं करता। यह निवेदन किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ताओं ने न तो मोनोग्राफ 1993 न ही ओ.एम दिनांक 19/20.11.2009 को चुनौती दी गई | यह निवेदन किया जाता है कि अतः, परिणामस्वरूप, RPF उपरोक्त विशेषता को संतुष्ट न करते हुए, OGACs के दर्जे की स्वीकृति हेतु उच्च न्यायालय के पास परमादेश जारी करने का कोई कारण नहीं था।

5. आगे श्री लेखी, विद्वान ASG द्वारा यह निवेदन किया जाता है कि दिनांक 01.03.2005 के ओ.एम द्वारा अग्रेषित विश्वसनीय सेवा नियम प्रारूप स्पष्ट रूप से उतना गलत था, जितना कि उच्च न्यायालय ने भर्ती नियमों एवं OGACs के विशेषताओं के सिवाय CRC एवं COS की मीटिंग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 13.11.2007 सूचना पत्र तथा दिनांक 29.07.2013 की CRC की मीटिंग, को अनदेखा किया।

5.1 यह निवेदन किया जाता है कि अतः राहत को प्रदान करने के लिए आधारभूत तथ्य संतोषजनक नहीं हैं। RPF के पास स्वयं का अधिकार स्थापित नहीं था अतः परमादेश रिट द्वारा इसको प्रवृत्त करने का कोई कारण नहीं था ।

5.2 आगे श्री लेखी विद्वान ASG द्वारा निवेदन किया जाता है कि उच्च न्यायालय कुछ निश्चित टिप्पणियों, पत्र व्यवहार एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी पत्र के आधार पर OGACs के सृजन में सक्षम नहीं था इसके लिए गृह विभाग है जिसके पास RPF अधिनियम 1957 एवं अन्य सुसंगत नियमों के अंतर्गत अधिकारिता क्षेत्र है। अपने निवेदन के समर्थन में कि गृह मंत्रालय OGACs को प्रदान करने के निर्धारण के लिए एक सक्षम प्राधिकारी है। श्री लेखी, ASG ने RPF अधिनियम 1957 की धारा 8 पर विश्वास किया है। आर पी एफ अधिनियम की धारा 3 एवं धारा 8 पर विश्वास करके, यह निवेदन किया जाता है कि RPF संघ का एक

सशस्त्र बल है, जिसका फैसला लेना गृह मंत्रालय के लिए अपेक्षित है एवं अतः इसकी स्वीकार्यता एवं अधिसूचना के लिए इसको कैबिनेट जाना ही पड़ेगा।

5.3 आगे श्री लेखी, विद्वान ASG एवं श्री लूथरा जो IPS समिति की ओर से प्रस्तुत है, यह निवेदन करते हैं कि RPF अधिनियम 1957 के अंतर्गत भी वैधानिक नियम है जो RPF में प्रतिनियुक्ति प्रदान करता है। RPF नियमों की विश्वसनीयता नियम 54 एवं 76 में है। यह निवेदन किया जाता है कि संवर्ग जिसमें मूल रिट याचिकाकर्ता है उन्हें OGACs घोषित किये गए हैं तब कोई प्रतिनियुक्ति नहीं हो सकती एवं IPS के संवर्ग से भी कोई प्रतिनियुक्ति पर नहीं आ सकता एवं बल (Force) स्थापना के भीतर दो समानांतर प्रणाली होने की सम्भावना है।

5.4 विद्वान ASG एवं श्री लूथरा द्वारा निवेदन है कि IPS संवर्ग से प्रतिनियुक्ति का वैधानिक प्रावधान है जैसा कि RPF नियमों में भी दिया गया है। यह निवेदन है कि संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत IPS एक अखिल भारतीय सेवा है तथा अनुच्छेद 312(2) के अंतर्गत राष्ट्रीय हितों में आवश्यक एवं उचित समझा जाए। यह निवेदन किया जाता है कि यह सेवा, संघ एवं राज्यों में समान है और इसीलिए, संघ के सशस्त्र बल (Forces) जिसे केंद्र द्वारा निर्मित किया गया, हेतु विशेषतः उचित है। इसे राज्य विषय में 'जन आदेश' तहत होते हुए भी, राज्य की सिविल शक्ति के साथ उपलब्ध किया जा सकता है। यह निवेदन है कि अतः यह योजना संविधान द्वारा कल्पित संरचना के भीतर अनुरूप है जो अनुच्छेद 312 एवं संघ सूची की प्रविष्टि 2A एवं राज्य सूची की प्रविष्टियाँ 1 एवं 2 में स्पष्ट है। आगे विद्वान ASG ने यह निवेदन किया कि सार्वजनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नेटवर्क के महत्व को ध्यान में रखकर पृथक्करण को हटाकर एवं जुड़ाव को सुनिश्चित करके एवं कृषि एवं व्यवसाय के विकास के कार्य को छोड़कर सस्ता एवं सुविधाजनक यातायात का साधन प्रदान करने हेतु रेलवे संपत्ति की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। यह निवेदन है कि RPF को अतः CAPF से अलग नहीं समझा जा सकता।

5.5 IREC के नियम 106 पर विश्वास करते हुए, यह निवेदन है कि रेल सेवा को राजपत्रित एवं अराजपत्रित के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। यह निवेदन है कि नियम 108 स्थापना के लिए है तथा सेवाओं के अंतर्गत श्रेणियां नियम 106 में वर्णित है। यह निवेदन है कि दो नियमों

को मिलाकर इकट्ठा पढ़ने से यह प्रत्यक्ष है कि RPF रेल सेवा की सूची में सम्मिलित नहीं है। उपरोक्त निवेदन के समर्थन में, उसे IREC के नियम 103(43) पर विश्वास है। यह निवेदन है कि अतः DoPT को RPF के मामले से पूर्णतया हटाया नहीं जा सकता।

5.6 आगे यह निवेदन है कि वास्तव में, RPF में प्रतिनियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाओं का सदस्य होने के नाते, रेलवे बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं हो सकती। यह निवेदन है कि मद 42(9) के अंतर्गत व्यापार नियम के आबंटन के दूसरी सूची स्वयं निर्धारित करती है कि अखिल भारतीय सेवाओं एवं केन्द्रीय सरकार सेवा के मानवशक्ति नियोजन एवं व्यवसाय नियोजन के सामान्य नीति प्रश्न कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का विषय मामला है। इसके आधार पर, DoPT संवर्ग पुनरीक्षण समिति के लिए सचिव का कार्य करती है जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव के द्वारा की जाती है। यह निवेदन है कि अतः न तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को RPF के मामलों से अलग रखा जाए न केवल रेलवे मंत्रालय RPF पर अपने नियंत्रण का दावा कर सके।

5.7 उपरोक्त निवेदनों को करते हुए, यह निवेदन है कि मूल रिट याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई प्रवर्तनीय अधिकार न हो, विशेषकर, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग एवं /अथवा गृह मंत्रालय के किसी अंतिम अनुमोदन की अनुपस्थिति में, उच्च न्यायालय का परमादेश जारी करना उचित नहीं है। उपरोक्त के समर्थन में, श्री लेखी, विद्वान ASG ने State of Kerala Vs. Lakshmikutty (1986) 4 SCC 632 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया।

5.8 उपरोक्त के समर्थन में तथा इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय पर विश्वास करते हुए, यह रिट याचिका (सिविल) सं. 6314 of 2012 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 04.12.2012 के आक्षेपित तथा आदेश को खारिज करके समाप्त करने की प्रार्थना की है।

6. वर्तमान अपील में मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत श्री पटवालिया, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा विरोध किया गया है उन्होंने तीव्रता से निवेदन किया कि, वैसे, वर्तमान अपील बिलकुल भी अनुरक्षणीय नहीं है क्योंकि यह आक्षेपित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध है जो पक्षकारों के अधिवक्ता की सहमति के बाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित सहमति आदेश है कि

उच्च न्यायालय आवश्यक निर्देशों को जारी करते हुए मामले का निपटान कर सकता है। यह बताया गया कि अपीलार्थी सं. 2 के अधिवक्ता सहित पक्षकारों के अधिवक्ता निर्देशों के जारी होने हेतु सहमत हैं एवं तत्पश्चात जब उच्च न्यायालय ने रिट याचिका का समझौते की शर्तों पर निपटान किया है, अतः अपील अनुरक्षणीय नहीं है।

6.1 आगे मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन है कि वर्तमान अपील भी गृह मंत्रालय के सम्बन्ध पर अनुरक्षणीय नहीं है, क्योंकि गृह मंत्रालय उच्च न्यायालय के समक्ष आवश्यक पक्षकार अथवा पक्षकार नहीं था। यह निवेदन है कि यूनियन ऑफ़ इंडिया जो रेलवे मंत्रालय की ओर से प्रस्तुत था, ने उच्च न्यायालय के निर्णय तथा आदेश को चुनौती नहीं दी तथा गृह मंत्रालय पूर्णतः अपरिचित है एवं अधिस्थिति में भी नहीं है कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ के आदेश को चुनौती दी।

6.2 मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे यह बताया कि जहाँ तक कि भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 का सम्बन्ध है गृह मंत्रालय RPF के ग्रुप 'ए' संवर्ग के साथ सम्बंधित नहीं है बल्कि रेल मंत्रालय RPF को सम्मिलित करके रेलवे के सभी मामलों के सम्बन्ध में सशक्त है। यह निवेदन है की उपरोक्त नियम पुलिस संगठनों की सूची को दिखायेगी जो गृह मंत्रालय के कार्य आबंटन के भाग है। यह निवेदन है कि सूची में RPF का नाम नहीं है जिससे मूल रिट याचिकाकर्ता सम्बन्ध रखते हैं। यह निवेदन है कि रेल मंत्रालय भी आक्षेपित निर्णय एवं आदेश को स्वीकार करती है एवं वास्तव में, आक्षेपित निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कदम लिये गए हैं। आगे यह निवेदन है कि उच्च न्यायालय का निर्णय, जो वैधानिक नियमों के अनुरूप एवं समान है। यह निर्णय रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकार्य है जो एक संवर्ग नियंत्रक मंत्रालय है।

6.3 मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे यह निवेदन है कि, यहाँ तक कि अन्यथा भी, गुणागुण पर भी उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय तथा आदेश का इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है, यह निवेदन है कि सावधानीपूर्वक विचार करते हुए रेल मंत्रालय द्वारा लिया गया निर्णय कि RPF को OGACs के तौर पर समझना एवं व्यवहार करना एवं उच्च न्यायालय ने निर्देशों को जारी करने में कोई गलती नहीं की विशेषकर, जब कई वर्षों तक अंतिम फैसला/ अनुमोदन नहीं लिया गया तथा मूल रिट याचिकाकर्ताओं तथा RPF सदस्य पीड़ित रहे।

6.4 मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता ने वर्ष 2008 में प्रस्तुत द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा फाइल रिपोर्ट को ध्यान में लाया गया। यह निवेदन है कि उक्त से प्रस्तावना लिखने के बाद भिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया। यह निवेदन है कि उक्त आयोग ने प्रस्तावना लिखने के बाद सुधार के लिए भिन्न पहलुओं पर ध्यान दिलाया। यह निवेदन है कि उक्त रिपोर्ट एक तालिका के बारे में वर्णन करती है जो भारत सरकार के सभी संगठित ग्रुप 'ए' केन्द्रीय सिविल सेवाओं को सम्मिलित करती है। यह निवेदन है कि मद सं. 15, 22, 23, 24 और 25 में जिन सेवाओं का नाम है वे RPF, BSF, CISF, CRPF and ITBP आदि क्रमशः है। यह निवेदन है कि उक्त सूची का स्रोत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग थे।

6.5 मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता ने हमारा ध्यान 2010 में भारत सरकार, कार्मिक मंत्रालय, सार्वजनिक शिकायत एवं पेंशन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा ग्रुप 'ए' केन्द्रीय सिविल सेवाओं के संवर्ग पुनरीक्षण में लाया। यह निवेदन है कि संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया गया था उन क्षेत्रों को पहचानने हेतु जिनमें संवर्ग समीक्षा करते सुधार की आवश्यकता है एवं विचार विमर्श, दिशा निर्देश के आधार पर संशोधित हुए एवं केन्द्रीय ग्रुप 'ए' सेवाओं का संवर्ग प्रबंधन पर नया मोनोग्राफ तैयार हुआ। यह निवेदन है कि संवर्ग पुनरीक्षण पर संशोधित मोनोग्राफ विशेषकर प्रदान करता है कि RPF एक OGACs है।

6.6 मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान कार्मिक मंत्रालय, सार्वजनिक शिकायत एवं पेंशन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी ओ. एम. दिनांक 14.12.2010 पर दिलाया जो केन्द्रीय ग्रुप 'ए' सेवाओं के संवर्ग पुनरीक्षण पर समाहित दिशा निर्देशों के साथ व्यवहार करता है। यह निवेदन है कि उपरोक्त ओ.एम. में अनुलग्नक 1 केन्द्रीय ग्रुप 'ए' सेवाओं की श्रेणीवार सूची देता है। यह निवेदन है कि पहली श्रेणी गैर-तकनीकी सेवाओं, दूसरी तकनीकी सेवाओं, तीसरी स्वास्थ्य सेवाओं एवं चौथी अन्य सेवाओं की है। यह निवेदन है कि अन्य सेवाओं जिसमें CRPF, CISF, BSF एवं ITBP एवं गैर तकनीकी सेवा है उनमें RPF सम्मिलित है। यह निवेदन है कि अतः, एक बार इस दर्जे को स्वीकार करते हुए ओ. एम. जारी किया गया था यह नहीं कहा जा सकता कि यह ऑफिस

नोट अथवा नीति विचार पर आधारित था जिसे यूनियन ऑफ़ इंडिया की ओर से प्रस्तुत विद्वान ASSG के द्वारा भी प्रस्तुत किया गया है।

6.7 अतः मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह बताया गया कि उच्च न्यायालय का परमादेश रिट जारी करना न्यायोचित है एवं अवलोकन करना कि OGACs को स्वीकृत गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नतिकरण के हित मूल रिट याचिकाकर्ताओं को प्रदान होने चाहिए क्योंकि संवर्ग का पुनरीक्षण हो गया है एवं संगठित एवं असंगठित संवर्गों के बीच अंतर कम हो गया है।

6.8 मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपने निवेदन के समर्थन में, RPF अधिनियम, 1957 की धारा 10 पर विश्वास प्रकट किया है और बताया कि महानिदेशक सक्षम प्राधिकारी है एवं गृह मंत्रालय नहीं।

7. अब, जहाँ तक कि गृह मंत्रालय एवं आई पी एस समिति द्वारा यूनियन ऑफ़ इंडिया की ओर से निवेदन है कि यदि RPF को OGACs संवर्ग के तौर पर समझा जाता है तो उस मामले में, यह प्रतिनियुक्ति पर पदों को भरने के सम्बन्ध में वैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध होगी। रेलवे सुरक्षा बल (संशोधन) अधिनियम, 1985 की धारा 19 पर विश्वास किया गया है। यह निवेदन है कि उपरोक्त प्रावधान स्पष्ट रूप से ग्रुप 'ए' पद पर किसी भी प्रतिनियुक्ति को प्रतिबंधित करते हैं। यह निवेदन है कि क्या किसी भी व्यक्ति को RPF में ग्रुप 'ए' पद पर प्रतिनियुक्त किया जा सकता है, इसे दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं. 6081 of 2010 द्वारा परीक्षण किया गया है एवं RPF (संशोधित) अधिनियम एवं नियमों के सुसंगत प्रावधानों के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अवलोकन किया कि रेलवे सुरक्षा सेवाओं में कोई भी प्रतिनियुक्ति एवं/अथवा पदों को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा नहीं जा सकता। यह निवेदन है कि उक्त निर्णय रेलवे मंत्रालय के द्वारा स्वीकार किया गया है।

8. मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रभात रंजन सिंह बनाम आर. के. कुशवाहा मामले में सिविल अपील सं. 9176 of 2018 में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की शक्ति पर अत्यधिक विश्वास किया। यह निवेदन है कि, उपरोक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी ज्ञापन से रेलवे

प्रतिबंधित नहीं है एवं अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तें तय करने के अपने नियम बनाने में सशक्त है।

9. उपरोक्त निवेदनों को करते हुए, वर्तमान अपील को खारिज करने की प्रार्थना की गई।

10. सम्बंधित पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तृत रूप से सुना।

10.1 एक लघु प्रश्न जो इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया है कि मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, क्या उच्च न्यायालय ने, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के ओ. एम सं. 96/E(GR)/16/I दिनांक 08.05.2003 जिसमें संगठित ग्रुप 'ए' केन्द्रीय सेवा के तौर पर RPF को गठित करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया गया है, पर विचार करके गलती की है एवं इसके फलस्वरूप RPF को संगठित ग्रुप 'ए' केन्द्रीय सेवाओं के सम्बन्ध में सेवा नियमों को पूर्ण करने हेतु RPF के संवर्ग संरचना के आगे के कदम उठाने के लिए निर्देशित करने में?

10.2 प्रारंभ से ही, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश से ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि आक्षेपित निर्णय एवं आदेश एक सहमति आदेश है जो उच्च न्यायालय ने, पक्षकारों की सहमति के बाद पारित किया था कि न्यायालय आवश्यक निर्देशों को जारी करने के बाद मामले का निपटान कर सकता है। अतः, तत्पश्चात, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश को चुनौती देना अपीलार्थी के लिए अधिकृत नहीं होगा जो एक अंतरिम आदेश है। इस चरण पर, यह सूचित करना अपेक्षित है कि मूल प्रत्यार्थियों को जिसमें रेलवे मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय, सार्वजनिक शिकायत एवं पेंशन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग थे, ने कोई प्रति शपथ पत्र नहीं फाइल किया, पर्याप्त समय मिलने पर भी। अतः किसी भी प्रत्यर्थी ने कभी भी इसका विरोध नहीं किया कि ओ.एम दिनांक 20.11.2003 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का एक सैद्धांतिक निर्णय नहीं था जो RPF को संगठित ग्रुप 'ए' केन्द्रीय सेवा के तौर पर गठित करने के लिए था। परिस्थितियों के अंतर्गत, वैसे, तत्पश्चात, अपीलार्थी के लिए आक्षेपित निर्णय एवं आदेश को चुनौती देने का हक नहीं होगा जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने रिट याचिका का निपटान परमादेश को जारी करके किया कि छः महीने के भीतर, RPF के संगठित ग्रुप 'ए' केन्द्रीय सेवाओं के रूप में सेवा नियमों के रूप में RPF की आवश्यक संवर्ग संरचना पूर्ण होगी। उपरोक्त निर्देश उच्च न्यायालय के द्वारा इस तथ्य पर विचार करते हुए जारी किया गया

है कि बहुत पहले 2003 में ओ.एम. दिनांक 20.11.2003 में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा RPF को संगठित ग्रुप 'ए' केन्द्रीय सिविल सेवा के तौर पर गठित करने का 'सैद्धांतिक' निर्णय लिया गया था एवं तत्पश्चात, यहाँ तक की वर्ष 2005 में, प्रारूप सेवा नियम, रेलवे मंत्रालय द्वारा, ग्रेड-वार संवर्ग संरचना का प्रयोग करने के बाद, तैयार किये गए थे एवं उपरोक्त के बावजूद, RPF को संगठित ग्रुप 'ए' केन्द्रीय सेवा के तौर पर गठित करने का कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था। परिस्थितियों के अंतर्गत, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश में इस न्यायालय द्वारा किसी भी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

11. यहाँ तक की गुणों के आधार पर भी, अपीलार्थी का कोई मामला नहीं है।

11.1 अपीलार्थी (यों) के अनुसार, ओ.एम दिनांक 20.11.2003 को यह नहीं कहा जा सकता कि यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा स्वीकृत 'सैद्धांतिक' अनुमोदन है जिसमें RPF को संगठित ग्रुप 'ए' केन्द्रीय सेवा के तौर पर गठित करने के लिए कहा गया है एवं प्रस्ताव को संवर्ग पुनरीक्षण समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा जायेगा। वैसे, ओ.एम दिनांक 20.11.2003 को पढ़कर, उच्च न्यायालय ने इसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा स्वीकृत 'सैद्धांतिक' अनुमोदन समझकर न्यायोचित किया है जिसमें RPF को संगठित ग्रुप 'ए' केन्द्रीय सेवा के तौर पर गठित करने का प्रस्ताव है। वैसे उक्त ओ.एम के पैरा (2) में वर्णित है कि प्रस्ताव सामान्य संवर्ग पुनरीक्षण प्रस्ताव की तरह विभाग के लिए आगे की कार्यवाही के लिए संवर्ग पुनरीक्षण समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा जायेगा। क्योंकि सिर्फ 'सैद्धांतिक' निर्णय संवर्ग पुनरीक्षण समिति के समक्ष रखा गया था, यह नहीं कहा जा सकता कि ओ.एम दिनांक 20.11.2003 में सम्मिलित 'सैद्धांतिक' फैसला अग्रिम अनुमोदन के अधीन था एवं /अथवा कोई 'सैद्धांतिक' निर्णय नहीं लिया गया था। यह सूचित करना अपेक्षित था कि ओ.एम दिनांक 20.11.2003, को जारी करते समय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने रेलवे मंत्रालय के ओ. एम दिनांक 08.05.2003 पर विचार किया था जिसके द्वारा रेलवे मंत्रालय ने एक विस्तृत नोट द्वारा RPF को एक संगठित ग्रुप 'ए' केन्द्रीय सेवा के तौर पर गठित करने का सुझाव दिया था। अतः, अपीलार्थी(यों) एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से यह निवेदन कि कार्मिक एवं

प्रशिक्षण विभाग का ओ. एम दिनांक 20.11.2003 जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा 'सैद्धांतिक' निर्णय नहीं कहा जा सकता जो RPF के संगठित ग्रुप 'ए' केन्द्रीय सेवा के तौर पर गठन हेतु प्रस्तावित है, नहीं स्वीकार किया जा सकता। यह पुनः ध्यान दिया गया कि उच्च न्यायालय को, रेलवे मंत्रालय एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग सहित सभी के द्वारा यह विश्वास दिलवाया गया कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी ओ.एम. दिनांक 20.11.2003 सैद्धांतिक' अनुमोदन है जिसमें RPF को संगठित ग्रुप 'ए' केन्द्रीय सेवा के तौर पर गठन प्रस्तावित था।

12. विभाग की एक शिकायत जो दिखती है जहाँ तक कि RPF से सम्बंधित वाद में कौन एक सक्षम प्राधिकरण है, रेल मंत्रालय एवं/अथवा गृह मंत्रालय एवं/अथवा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग है। यह सूचित करना अपेक्षित है कि, शुरुआत से ही, रेलवे मंत्रालय ने RPF को एक संगठित ग्रुप 'ए' केन्द्रीय सेवा के तौर पर गठित करने का सुझाव दिया एवं प्रस्ताव किया एवं/अथवा विचार किया है, जो 2001 से ही उनके पत्र व्यवहार से ही स्पष्ट है, यहाँ तक कि भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमों, का विचार करके, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का अधिकार क्षेत्र, रेलवे सेवाओं को छोड़कर, केन्द्रीय सेवाओं से सम्बंधित सामान्य प्रश्न जो भर्ती पदोन्नति एवं वरिष्ठता से जुड़े हैं, से हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का प्राधिकार रेलवे विभाग के अंतर्गत पदों को छोड़कर, भारत सरकार के अंतर्गत सिविल पदों पर गैर-भारतीय की नियुक्ति पर होगा। यह आगे प्रदान करता है कि रेलवे मंत्रालय का प्राधिकार सभी मामलों पर है जिसमें रेलवे की आय भी सम्मिलित है। अतः कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग एवं/ अथवा गृह मंत्रालय का RPF की सेवाओं के सम्बन्ध में व्यवहार करने का कोई प्राधिकार नहीं होगा।

12.1 दूसरी बात जो ध्यान देने योग्य है कि रेलवे मंत्रालय एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग एवं अन्य प्राधिकारियों के बीच पत्र-व्यवहार से स्पष्ट है की शुरु से ही, वैसे, रेलवे मंत्रालय ने RPF को एक संगठित ग्रुप 'ए' केन्द्रीय सेवा के तौर पर गठित करने का सुझाव दिया था।

13. एक विरोध जो RPF को एक संगठित ग्रुप 'ए' केन्द्रीय सेवाओं के तौर पर गठित/ समझने के विरुद्ध है वह विशेषताओं में से एक विशेषता है अर्थात् विशेषता (iv), सभी पद JTS से SAG स्तर तक सभी पदोन्नति से भरे जाने चाहिए, संतोषजनक नहीं है क्योंकि DIG एवं IG के पदों पर, RPF भर्ती नियमों में प्रतिनियुक्ति का प्रावधान है। इस चरण पर, यह ध्यान देने

योग्य है कि IG (RPF) के पद को छोड़कर, अन्य पदों को पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति पर भरा जाना है। अतः क्योंकि सिर्फ कुछ पदों को प्रतिनियुक्ति द्वारा भी भरा जा सकता है, एवं अन्यथा, यदि पदों को पदोन्नति द्वारा भी भरा जाना अपेक्षित है, यह नहीं कहा जा सकता कि विशेषता (iv) संतोषजनक नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण, पदों को केवल प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा रहा है परिणामस्वरूप जहाँ तक आर पी एफ के अधिकारियों का सम्बन्ध है उन्हें गतिरोध की स्थिति से पीड़ित होना पड़ रहा है एवं वे अपने पदोन्नति के लिए बहुत वर्षों से इंतज़ार कर रहे हैं। न तो उनको पदोन्नति प्राप्त हो रही है न ही उनको OGACs समझा जाता है एवं, इसीलिए, उनको हितों से भी वंचित किया जा रहा है।

13.1 इस चरण पर, यह ध्यान देने योग्य है कि यहाँ तक कि रेलवे मंत्रालय ने भी वर्ष 2005 में प्रारूप नियमों को ग्रेड वार संवर्ग संचरना को प्रयोग में लाने का दायित्व लेने के बाद तैयार किया था।

13.2 उपरोक्त निवेदनों एवं तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं रिकॉर्ड पर तथ्यों पर विचार करते हुए, जब उच्च न्यायालय ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ओ.एम दिनांक 20.11.2003 के 'सैद्धांतिक' निर्णय/ अनुमोदन पर विचार करके एवं/अथवा समझकर मंडेमस जारी किया है जो RPF को एक संगठित ग्रुप 'ए' केन्द्रीय सेवाओं के तौर पर गठित करने हेतु है एवं फलस्वरूप अपीलार्थी(यों) को RPF के संवर्ग संरचना हेतु आगे के कदम लेना एवं RPF के संगठित ग्रुप 'ए' केन्द्रीय सेवा के सन्दर्भ में सेवा नियमों को पूर्ण करने हेतु निर्देश जारी करने से सम्बंधित है। यह नहीं कहा जा सकता कि उच्च न्यायालय ने कोई गलती की है। RPF को संगठित ग्रुप 'ए' केन्द्रीय सेवा के रूप में सही समझा और विचार किया गया है।

14. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए एवं उपरोक्त वर्णित कारणों हेतु SLP (सिविल) सं. 12393 of 2013 से उत्पन्न वर्तमान अपील खारिज होने योग्य है एवं तदनुसार खारिज की जाती है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, कोई कोस्ट (cost) नहीं होगा।

सिविल अपील @ एस एल पी (सिविल) सं. 35548-54 of 2015 & 13937/2016

15. रिट याचिका (सिविल) सं. 153 of 2013 एवं अन्य सम्बंधित रिट याचिकाओं में दिनांक 03.09.2015 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश से खिन्न एवं व्यथित होकर एवं रिट याचिका (सिविल) सं. 3529/2015 में पारित दिनांक 15.12.2015 निर्णय एवं आदेश जिसमें उच्च न्यायालय ने यही अनुमति दी है जो निजी प्रत्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत की गयी है एवं ओ.एम दिनांक 28.10.2013 एवं अन्य पत्रों को समाप्त एवं रद्द कर दिया है, जिसके द्वारा मूल रिट याचिकाकर्ताओं की गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नतीकरण को प्रदान करने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया था एवं जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रत्यार्थियों को उसमें निर्देशित किया है कि NFFU के लाभों को प्रदान करने की उपयुक्त अधिसूचना जारी करें जिसकी संस्तुति 6th केन्द्रीय वेतन आयोग के द्वारा मूल रिट याचिकाकर्ताओं को की गई हो। मूल प्रत्यार्थियों- यूनियन ऑफ़ इंडिया एवं अन्य ने वर्तमान अपील दायर की है।

16. वर्तमान अपील में प्रस्तुत तथ्य निम्नलिखित हैं।

कि मूल रिट याचिकाकर्ताओं केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल की सेवा में है, सभी को NFFU से, जो अन्य केन्द्रीय सेवा के ग्रुप 'ए' अधिकारियों को मान्य है, वंचित कर दिया गया था। अतः वे मूल प्रत्यार्थियों को चुनौती देने जो इसमें अपीलार्थी हैं, उच्च न्यायालय गए थे, जिसमें उनकी NFFU को प्रदान करने की प्रार्थना जो अन्य केन्द्रीय सरकार के ग्रुप 'ए' अधिकारियों को मान्य था, को अस्वीकार कर दिया गया था

16.1 यह प्रकट है कि उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों की विचारधीनता के दौरान, उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 26.09.2013 द्वारा इसमें अपीलार्थियों- मूल प्रत्यार्थियों को CRPF,BSF एवं Indo-Tibetan Border Police के ग्रुप 'ए' अधिकारियों को NFFU को प्रदान करने के सम्बन्ध में समस्या को पुनः परीक्षण के लिए निर्देशित किया। वैसे, गृह मंत्रालय द्वारा जारी ओ.एम दिनांक 28.10.2003, द्वारा वाद विषय मूल रिट याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध निर्णित था। अतः, मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिकाओं में संशोधन किया एवं तत्कालीन ओ.एम दिनांक 28.10.2013 को चुनौती दी।

16.2 उच्च न्यायालय के समक्ष, मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने परस्पर निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना की।

1. परमादेश रिट उनको प्रदान की जाये अर्थात् CAPF के कार्यकारी ग्रुप 'ए' अधिकारी को दिनांक 01.06.2006 से NFFU लाभ लागू किया जाये, जो ओ.एम दिनांक 24.04.2009 द्वारा PB-3 एवं PB-4 के अंतर्गत ग्रुप 'ए' सेवा के अन्य अधिकारियों को प्रदान किया जाता है।

2. कि, उनको दिनांक 01.01.2006 से सभी महत्वपूर्ण लाभों सहित औपचारिक रूप से एक संगठित ग्रुप 'ए' सेवा घोषित किया जाए।

17. यह उच्च न्यायालय के समक्ष मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से वाद था कि सभी मूल रिट याचिकाकर्ता केंद्रीय ग्रुप 'ए' सेवा से सम्बंधित हैं। यह उच्च न्यायालय के समक्ष मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से वाद था कि वर्ष 1986 से CRPF,BSF इत्यादि को संगठित ग्रुप 'ए' सेवाओं के जैसे समझा एवं घोषित किया गया था। यह मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से वाद था कि "ग्रुप 'ए' केंद्रीय सेवाओं के संवर्ग प्रबंधन" पर मोनोग्राफ, में BSF एवं CRPF केन्द्रीय सेवाओं (ग्रुप 'ए') की सूची में सम्मिलित हैं।

17.1 यह मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से वाद था, कि, शब्द "संगठित" की विधिक स्थिति केन्द्रीय ग्रुप 'ए' सेवाओं की उचित पहचान के लिए नहीं है, और इस शब्द को प्रशासनिक सुविधा के लिए किसी के द्वारा कुछ समय पहले प्रयोग किया गया, जिसके परिणामस्वरूप दुविधा उत्पन्न हो गयी है। यह निवेदन है कि मोनोग्राफ सूची में 58 सेवाएं सम्मिलित हैं जिनको गैर तकनीकी सेवाओं, तकनीकी सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं एवं अन्य सेवाओं अर्थात् ITBP, CISF,BSF एवं CRPF को क्रम सं. 50, 51, 52 एवं 53 में श्रेणीकृत किया गया है।

17.2 मूल रिट याचिकाकर्ताओं की तरफ से यह भी बताया गया है कि वह सब एक संगठित सेवा, जिसमे विशेषता (iv) भी सम्मिलित है, को पूरा करते हैं। यह भी बताया गया कि, जहाँ तक की विशेषता (iv) का संबंध है, एक प्रतिनियुक्त व्यक्ति अपने ही कैडर नियमों के प्रभाव से केवल संवर्ग बाह्य पदों के प्रति ही नियुक्त हो सकता है, इसलिए JTS से SAG स्तरों के सभी रिक्त पदों को केवल कैडर अधिकारियों से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है। मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने यह भी आगे बताया कि, गतिरोध समस्याओं से उभरने हेतु, छठे वेतन आयोग ने विभिन्न संगठित ग्रुप "A" सेवाओं में सभी ग्रुप "A" अधिकारियों को NFFU देने की सिफारिश की थी। यह बताया गया है कि, गतिरोध की समस्या से पीड़ित ग्रुप-A अधिकारियों को NFFU देने के लक्ष्य का आशय पीछे-हटने के विकल्प की तरह था, जब सामान्य पदोन्नतियां

विभिन्न कारणों के कारण नहीं हो पाती | यह भी बताया गया कि, इसलिए NFFU का लाभ, संगठन/संवर्ग, जो अति गतिरोध की समस्या से जूझ रहे हैं, को देना ही चाहिए। यह निवेदन है कि, CPMFs गतिरोध की समस्या से जूझ रहे हैं और इसलिए उन्हें NFFU का गैर-अनुदान अत्याधिक मनमाना व्यवहार है |

18. उपरोक्त सभी याचिकाओं का भारत सरकार ने विरोध किया | यह बताया गया कि, दिनांक 28.10.13 का कार्यालय ज्ञापन निवेदनों और मूल रिट याचिकाकर्त्ताओं के मामले को ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद जारी किया गया था और इसलिए एक सचेत निर्णय लिया गया था कि, सभी मूल रिट याचिकाकर्त्ताओं, जो CRPF से सम्बंधित है, को संगठित ग्रुप-A सेवा के रूप में नहीं माना जा सकता हैं |

18.1 भारत सरकार द्वारा यह बताया गया कि, CRPF और BSF को संगठित ग्रुप-A सेवा के रूप में मानने से पूर्व छः विशेषताओं का पूरा होना जरूरी हैं | यह भी बताया गया कि, हांलाकि सभी मूल रिट याचिकाकर्त्ता-CRPF के कर्मचारी पहले तीन विशेषताओं को पूरा करते हैं, फिर भी, वे 4 और 6 विशेषता को पूरी नहीं करते है | यह भी बताया किया गया कि, यद्यपि, यदि सभी छः विशेषताएं पूरी हो जाती, इन्हें कुछ अन्य मानदंड को भी पूरा करना पड़ेगा, जिसके लिए दिनांक 19/20.11.2009 के कार्यालय ज्ञापन पर ध्यान आकर्षित किया गया।

18.2 कि, इसके बाद, उच्च न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों के निवेदनो और रिकॉर्ड-तथ्यों पर विचार करने के बाद, विशिष्टतया, समय-समय पर DoPT द्वारा जारी मोनोग्राफ द्वारा निष्कर्ष निकाला गया कि CPMFs को केंद्रीय समूह 'A' सेवा के भाग के रूप में दर्शाया गया हैं और वे संगठन की शर्त को पूरा करते हैं | उच्च न्यायालय ने माना कि, भारत सरकार को यह पहले ही स्वीकार लेना चाहिए था कि, BSF और CRPF संगठित सेवाएँ हैं और बल्कि, उन्हें संगठित सेवाओं के उदाहरण के रूप में भी इस्तेमाल किया गया हैं | वर्ष 1986, 1993 और 2010 के मोनोग्राफ पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने देखा कि, उसमे CPMFs को केंद्रीय सिविल सेवा के ग्रुप-A भाग के रूप में दर्शाया गया हैं | उपरोक्त तथ्यों पर पहुंचने और विचारने के बाद, उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णयों और आदेशों द्वारा दिनांक 28.10.2013 के कार्यालय ज्ञापन को और अन्य समवर्गी पत्रों को रद्द कर दिया, जिसके द्वारा मूल रिट याचिकाकर्त्ताओं को NFFU के अनुदान हेतु प्रार्थना को नामंजूर किया गया था और जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थियो-मूल प्रत्यार्थियों को निर्देश दिया गया कि, वे मूल याचिकाकर्त्ताओ को छठे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश की गई NFFU के लाभ देने हेतु आक्षेपित अधिसूचना जारी करें।

18.3 आक्षेपित निर्णयों और आदेशों से असंतुष्ट, भारत सरकार और अन्य, ने वर्तमान अपीलों को दायर किया।

19 फ़ाज़िल ASG श्री लेखी ने पुर ज़ोर कहा कि, उच्च न्यायालय ने, यह धारित करके कि CMPFs को जान-बूझकर OGAS का घटक बनाया गया था, आक्षेपित निर्णयों और आदेशों को पारित करके वास्तव में त्रुटि की है और इस प्रकार से CRPF को NFFU के लाभ को प्रदान करने हेतु अधिसूचना जारी करने हेतु निर्देश देने में वास्तविक त्रुटि की है।

19.1 फ़ाज़िल ASG ने यह भी बताया कि, OGAS में किसी भी सेवा को शामिल होने के लिए, छः विशेषताओं को पूरा करना पड़ता है, जैसा कि 1993 के मोनोग्राफ और कार्यालय ज्ञापन दिनांक 19/20.11.2009 में देखा गया है। उन्होंने कहा कि, प्रस्तुत मामले में, CRPF चौथी विशेषता को पूरा नहीं करते हैं, अर्थात् JTS और SAG स्तर तक की सभी रिक्तियां को अगली निचले स्तर से पदोन्नति द्वारा भरा जाना। यह भी बताया गया कि, दिनांक 19/20.11.2009 के कार्यालय ज्ञापन में भी, पैरा 2, में यह विशेष रूप से बताया गया है कि, यद्यपि, सेवा/कैडर उपरोक्त मानदंडों – छः विशेषताओं को पूरा करता हो, स्वतः रूप से ही उन्हें OGAS की प्रास्थिति प्रदत्त नहीं की जाएगी। यह भी आगे बताया गया है कि, एक संगठित ग्रुप-A सेवा, वह सेवा है जिसे सचेतपूर्ण गठित किया गया हो, वह भी, कैडर नियंत्रक प्राधिकरणों द्वारा और ऐसी सेवा को स्थापित प्रक्रियाओं द्वारा ही गठित किया गया हो। यह भी कहा गया कि, इसीलिए छः विशेषताएँ वह मूलभूत विशेषताएँ हैं, जिन्हें पूर्ण करना आवश्यक है।

19.2 फ़ाज़िल ASG श्री लेखी द्वारा यह भी आगे बताया गया कि, भर्ती नियमों यानी IPS (CADRE) 1954 नियमों के अनुसार, JTS से SAG स्तर की सभी रिक्तियां अगले निचले ग्रेड से पदोन्नति द्वारा नहीं, परन्तु IPS अधिकारियों से प्रतिनियुक्त द्वारा भरी जायेगी। यह भी बताया गया कि, आवश्यक नियमों को कोई चुनौती नहीं है। यह भी कहा गया कि, इसलिए, क्रम संख्या 4 को पूरी तरह से पूर्ण नहीं किया गया है।

19.3 फ़ाज़िल ASG द्वारा यह भी आगे बताया गया कि, NFFU का अनुदान केवल OGAS को ही छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के परिणाम स्वरूप ही प्रदान किया जा सकता है। यह भी निवेदन किया गया कि, आयोग ने विशेष रूप से CAPFs को OGAS के रूप में संगठित न करने की सिफारिश की थी, क्योंकि वह JTS से SAG स्तर तक की सभी पदों को पदोन्नति द्वारा भरने की आवश्यकता को पूर्णरूप से पूरा नहीं करते हैं। यह भी बताया गया कि,

CRPF को NFFU अनुदान नहीं देने हेतु सचेतन निर्णय लिया गया क्योंकि CRPF/CAPF को OGAS के रूप में स्वीकारा नहीं जा सकता है।

19.4 फ़ाज़िल ASG ने यह भी आगे बताया कि, अन्यथा भी, उच्च न्यायालय ने दिनांक 28.10.13 के कार्यालय ज्ञापन में समाहित सचेत निर्णय में हस्तक्षेप करके त्रुटि की है, वह भी, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अनुच्छेद 226 की शक्तियों के तहत। यह बताया गया कि, मामले के गुण-दोष को ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिनांक 23.10.2013 के कार्यालय ज्ञापन में सचेत निर्णय लिया गया था। उन्होंने कहा कि, इसलिए उच्च न्यायालय के सभी आक्षेपित आदेश विधि अनुसार अनुचित है क्योंकि यह एक स्थापित सिद्धांत है कि न्यायिक पुनरीक्षण कार्यवहियों में निर्णय लेने के गुणवत्ता को संबोधित नहीं किया जायेगा, परन्तु उस तरीके को, जिसके द्वारा निर्णय लिया गया हो। यह भी बताया गया कि, उच्च न्यायालय का यह अधिकार नहीं है कि वह न्यायिक पुनरीक्षण की अधिकारिता को प्रयोग करते हुए विशेषज्ञ प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय, जोकि पक्षकारों से सम्बंधित है, को अपने विचार से स्थानापन्न करें।

20. उपरोक्त कथनों को कहते हुए यह निवेदन किया गया कि, प्रस्तुत अपीलों को अनुमति दी जाये और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आपेक्षित निर्णयों और आदेशों को निरस्त किया जाये।

21. प्रस्तुत अपीलों का मूल रिट याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने पुरजोर विरोध किया।

21.1 प्रत्यर्थी-मूल रिट याचिकाकर्ताओं के फ़ाज़िल अधिवक्ता ने पुरजोर कहा कि, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आपेक्षित निर्णयों और आदेशों में इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि, उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड-तथ्यों और तथ्यों पर विचार करके कि, 1986 से CRPF आदि को ग्रुप 'A' संगठन सेवा के रूप में माना और स्वीकारा गया है, आपेक्षित निर्णय और आदेश पारित किये हैं।

21.2 मूल रिट याचिकाकर्ताओं की तरफ से यह बताया गया कि, भारत में सिविल सेवा प्रणाली के शुरुआत से ही, सेवाएँ, जो वांछनीय पात्रताओं को पूरा करती हैं वह सब संगठित सेवा के रूप में समझी और स्वीकारी जाती है। यह निवेदन किया गया कि, ग्रुप-A सेवा को औपचारिक रूप से संगठित सेवा घोषित करने हेतु कोई क़ानूनी प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि, DoPT के रिकॉर्ड भी इस बात को स्वीकारते हैं, कि, तय औपचारिकताओं को देखने के बाद, केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों को 1986 से ही संगठित सेवा के रूप में माना गया था। यह भी कहा गया कि,

एकाकी पद वह पद हैं जिनका कोई उचित पदक्रम, पदानुक्रम, भर्ती योजना, भर्ती नियम आदि नहीं होते हैं, और इसके विपरीत, संगठित सेवाएँ वह सेवाएँ होती हैं जिनकी उचित भर्ती योजना, प्रत्यक्ष प्रविष्ट पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति हेतु तय कोटा आदि होते हैं, जिसका तथ्य 1986 में DoPT द्वारा जारी कैडर प्रबंधन मोनोग्राफ से भी स्पष्ट होता है। यह प्रबलतापूर्वक बताया गया, कि, मोनोग्राफ में दी गई सूची में, BSF और CRPF के नाम भी देखे जा सकते हैं। यह कहा गया, कि, केवल दिनांक 20.11.2009 के कार्यालय ज्ञापन में, केवल इस आधार पर एक शंका निर्मित की गई थी, कि, छः विशेषता में से एक विशेषता को पूरा नहीं किया गया है। यह भी बताया गया कि, दिनांक 20.11.2009 के कार्यालय ज्ञापन में बताए गए छः विशेषताएँ उन बलों (forces) पर लागू नहीं होती क्योंकि, इन्हें DoPT द्वारा बार-बार पर अपने मोनोग्राफ्स और अन्य पत्राचारों द्वारा संगठित सेवा के रूप में समझा एवं स्वीकारा गया। यह बताया गया कि, उसी रूप में BSF, CRPF और ITBP को नियमित संगठित सेवाओं की श्रेणी में एक संगठित सेवा की आवश्यक पात्रताएँ पूरी करने पर ही समिलित किया गया और यह बात DoE के दिनांक 21.10.1986 की टिप्पणी में भी अभिनिर्देशित है।

21.3 यह भी आगे बताया गया कि, वास्तव में, DoPT ने दिनांक 20.11.09 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी करते हुए छः विशेषताओं को सुस्पष्ट बताया कि, वर्तमान OGAS, जो समय के साथ विकसित हुआ है, में अपने कार्यकारी आवश्यकताओं के चलते मामूली अंतर हो सकते हैं और इसलिए स्पष्टीकरण दिया कि, ऐसी सेवाओं के पुनरीक्षण को नहीं करने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। यह भी आगे बताया गया कि, उसी रूप में, दिनांक 20.11.2009 के कार्यालय ज्ञापन में बताए गई विशेषताएँ केवल मूल पात्रताएँ हैं न कि, एक संगठित सेवा कहलाए जाने हेतु पूर्व सेवा शर्तें।

21.4 मूल रिट याचिकाकर्त्ताओं के अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान ग्रुप-A केन्द्रीय सेवाओं के कैडर प्रबंधक द्वारा 1986 और 1993 के मोनोग्राफ्स की ओर खींचा और पुरजोर कहा कि, कैडर समीक्षा केवल अध्ययन-समूह द्वारा ही गहन अध्ययन के बाद की जाती है और यह प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर आधारित होती है। यह बताया गया कि, उपरोक्त मोनोग्राफ्स में, CRPF, BSF आदि को संगठित ग्रुप 'A' सेवाओं के रूप में स्वीकारा

गया था | यह भी बताया, कि, इसीलिए, इसके बाद DoPT या कोई अन्य, यह हक नहीं रखता है कि, वह CRPF को केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'A' के रूप में नहीं माने और इन्हें NFFU अस्वीकृत करें।

21.5 यह भी आगे बताया गया कि, मूल रिट याचिकाकर्त्ताओं की तरफ से, कि, अन्यथा भी, तीनों बलों (forces) सेवाओं में पदों का स्पष्ट पदानुक्रम है, जिसमें कैडर की पदोन्नतियों हेतु पर्याप्त आयाम हैं, और इसलिए वे सभी एक संगठित सेवा के आवश्यक पात्रताओं को पूरा करते हैं जिसमें चौथी विशेषता भी सम्मिलित है अर्थात् वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (SAG) पद की सभी रिक्तियाँ भरने हेतु अधिकार।

21.6 मूल रिट याचिकाकर्त्ताओं की तरफ से यह भी बताया गया कि, गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड (NFSG) सभी CAPFs को दिया गया था और DoPT के अपने कथन अनुसार ही NFSG (गैर कार्यात्मक चयन ग्रेड) को केवल संगठित ग्रुप 'A' सेवाओं को दिया जा सकता है।

21.7 मूल रिट याचिकाकर्त्ताओं द्वारा यह भी बताया गया कि, दिनांक 20.11.2009 के कार्यालय ज्ञापन के जारी करने के बाद भी वर्ष 2010 में जारी मोनोग्राफ, जिसमें दिनांक 14.12.2010 की समेकित मार्गदर्शिका को संदर्भित करते हुए, कार्यालय ज्ञापन के साथ सलंगित सूची, जिसमें वर्तमान केन्द्रीय ग्रुप-A सेवाएँ थी, का विशेष जिक्र किया गया था। यह भी कहा गया कि, कथित सूची में, क्रम संख्या 50,52,53 में ITBP, BSF और CRPF क्रमशः दर्शित हैं।

21.8 मूल रिट याचिकाकर्त्ताओं द्वारा यह भी बताया गया कि, अपीलार्थी की प्रार्थना कि, प्रत्यर्थी चौथी विशेषता को पूरा नहीं करते हैं, इस तथ्य को नज़रअंदाज करती है कि, चौथी विशेषता का सन्दर्भ पदों के भरे जाने से है न कि, पदों से। यह भी बताया गया है कि, वास्तव में, CPMF कैडरों में बड़ी मात्रा में उन पदों पर गतिरोध हैं जहाँ IPS अधिकारियों हेतु प्रतिनियुक्ति कोटा तय कर दिया गया है। यह भी बताया गया कि, एक तरफ SAG स्तर पर IPS अधिकारियों हेतु कोटा तय करते हैं और बाद में दावा करते हैं कि, रिक्त पद कैडर अधिकारियों द्वारा भरे नहीं जा रहे हैं। यह भी कहा गया कि, तीनों बलों (forces) में ग्रुप 'A' सेवाओं में अधिकारियों की संख्या उपलब्ध है और, वास्तव में विभिन्न स्तरों पर पदोन्नति हेतु

योग्य भी हैं, लेकिन वास्तविकता में यह पदोन्नति नियमों की पात्रताओं को पूरा करने के बाद भी अत्यधिक समय तक गतिरोध हो रही हैं। यह भी बताया गया कि, वास्तव में, सरकार की अपनी ही फाइलों में टिप्पणी, जिसकी संख्या P-I-1/2012, Pers-DA-Pa ज्ञापन है, दर्शाता है इस तथ्य को, कि, विशेषता संख्या (iv) का पूरा न होना CAPFs के सहजगुणको नहीं बताता और ऐसा नहीं है कि, सेना के पास IG स्तर तक के रिक्त पदों को भरने हेतु अधिकारियों की कमी है। यह भी बताया गया कि, वास्तव में, टिप्पणी यह भी दर्शाती है कि, कैडर अधिकारी, पदोन्नति आयामों में देरी के कारण, अलाभकारी स्थिति में न रहे।

21.9 मूल रिट याचिकाकर्ताओं की तरफ से यह भी कहा गया कि, चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, DoPT ने 1990 में वित्तीय लाभ यानि गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड को शुरू किया था। यह भी बताया गया कि, सेवाओं की सूची को विचारने के बाद, यह प्रतीत है कि, उपरोक्त कथित लाभ जिन्हें प्रदान किए गए थे, उनमें CRPF, BSF, और ITBP का नाम भी शामिल है। यह भी बताया गया कि, CAPFs को योजना का लाभ प्रदान किया गया था, जिसे केवल संगठित ग्रुप-A सेवाओं को ही दिया जाता है, और इसलिए यह स्पष्ट करता है कि, CAPFs को संगठित ग्रुप-A सेवाओं के रूप में स्वीकारा जाता था।

21.10 मूल रिट याचिकाकर्ताओं की तरफ से यह भी कहा गया कि, छठा वेतन आयोग केवल संस्तुति मात्र है और यह विभिन्न सेवाओं को संगठित या गैर-संगठित संगठन की प्रास्थिति प्रदान नहीं करता है। यह भी कहा गया कि, DoPT ही वह नोडल एजेंसी है, जो सेवाओं को किसी विशेष समूह में घोषित करती है। यह भी कहा गया कि, DoPT ने अपने विभिन्न मोनोग्राफ में कैडर पुनरीक्षण संचालन हेतु प्रक्रियाओं को बताया है और यह भी दिखाया है कि, कैडर पुनरीक्षण कार्य, एक नियमित गठित सेवा (संगठित सेवाओं) का ही होता है। यह भी आगे बताया गया कि, DoPT के मोनोग्राफ अनुसार कैडर पुनरीक्षण कार्य केवल संगठित ग्रुप-A सेवाओं का ही होता है और कथित मोनोग्राफ के साथ उन सेवाओं की एक सूची भी संलग्न है, जिनका कैडर पुनरीक्षण DoPT द्वारा किया गया था, जिनमें CAPFs का नाम भी शामिल है। यह भी बताया गया कि, इसलिए अपीलार्थियों द्वारा यह कथन, कि, छठे आयोग ने CAPFs

हेतु सिफारिश नहीं की थी, इसलिए, वह सब NFFU के हकदार नहीं है, शक्तियों के प्रत्यायोजन और प्रक्रियाओं के विरुद्ध हैं।

21.11 मूल रिट याचिकाकर्ताओं की तरफ से यह भी बताया गया कि, यहाँ पर पदोन्नति के आयाम और पदों का पदानुक्रम है और क्योंकि, केवल कुछ पदों को प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा रहा है, यह कोई आधार नहीं हो सकता है CRPF आदि को संगठित ग्रुप-A सेवाओं की प्रास्थिति देने से मना किया जाए और इस आधार पर भी कि, विशेषता संख्या (iv) पूरी नहीं की गई अथवा नहीं की जा रही है। यह भी बताया गया कि, ऐसी कई अन्य सेवाएँ / संगठन हैं, जैसे भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाएँ, भारतीय विधि सेवा आदि, जिनमें अत्याधिक मात्रा में प्रतिनियुक्त व्यक्ति हैं, और फिर भी, उन्हें संगठित ग्रुप 'A' सेवाएँ मानकर लाभ प्रदत्त किये जाते हैं। यह भी बताया गया कि, इसलिए, अपीलार्थी द्वारा CAPFs को NFFU का लाभ प्रदान करने हेतु की मनाही गैर-कानूनी, मनमानी और भारतीय संविधान की धारा 14 के उल्लंघन तहत है।

22. उपरोक्त कथनों को कहते हुए, प्रस्तुत अपीलों को खारिज करने की प्रार्थना की गई।

23. सम्बंधित पक्षों के फ़ाज़िल अधिवक्ताओं को अच्छी तरह से सुना गया।

23.1 शुरुआत में, आवश्यक है यह विचारना, कि, प्रस्तुत अपीलों में मुद्दा CRPF में कार्य कर रहे मूल याचिकाकर्ताओं जैसे अधिकारियों/कर्मचारियों को NFFU प्रदान नहीं करना है। प्रस्तुत मामले में CRPF को NFFU प्रदान न करने का आधार है, कि, CRPF एक संगठित ग्रुप 'A' सेवा नहीं है और इसलिए, उन्हें छठे वेतन आयोग के अनुसार NFFU प्रदान करने से वांछित रखने की सिफ़ारिश की गई परन्तु यह अन्य सेवाओं को प्रदान की गई।

23.2 कि, उपरोक्त मुद्दे पर विचार करते हुए, NFFU प्रदान करने का उद्देश्य आवश्यक रूप से देखा जाना चाहिए। गतिरोध की समस्या से उभरने हेतु, छठे वेतन आयोग ने विभिन्न संगठित ग्रुप 'A' सेवाओं के सभी ग्रुप-A अधिकारियों को NFFU प्रदान करने की सिफ़ारिश की थी। NFFU प्रदान करने का उद्देश्य गतिरोध की समस्या से पीड़ित ग्रुप-A अधिकारियों को पीछे-हटने के विकल्प की तरह था, जब सामान्य पदोन्नतियाँ विभिन्न कारणों के कारण नहीं हो पाती। यह भी देखा गया कि, CPMFs गतिरोध की समस्या से अत्याधिक पीड़ित है, विशिष्टतया, एक

तरफ जब उन्हें पदोन्नतियां प्रदान नहीं की जा रही क्योंकि, पदोन्नति पदों को अधिकतर प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा रहा है, और दूसरी तरफ, उन्हें NFFU भी प्रदान नहीं किया जा रहा है।

23.3 जैसा कि, उपरोक्त देखा गया, CMPFs को NFFU इस आधार पर नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उन्हें संगठित ग्रुप 'A' सेवाओं के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं किया जाता है। उपरोक्त देखा गया कि, अपीलार्थी की तरफ से यह कहा गया था, कि, संगठित ग्रुप-A सेवाओं के रूप में स्वीकारने अथवा मानने हेतु, CRPF छः विशेषताओं में से विशेषता संख्या (iv) और (vi) पूरी नहीं करता है, और यह भी बताया गया कि, CAPFs को NFFU प्रदान न करने का आधार था, इसे छोटे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश नहीं किया जाना।

23.4 रिकॉर्ड-तथ्यों पर विचार करते हुए, विशिष्टतया, DoPT द्वारा 1986 से अभी तक के जारी मोनोग्राफ में CAPFs को केन्द्रीय ग्रुप 'A' सेवाओं के रूप में दर्शाया गया है। CAPFs को केन्द्रीय ग्रुप 'A' सेवाओं के भाग के रूप में DoPT द्वारा कैडर पुनरीक्षण आदि कार्य करने के बाद ही, दर्शाया गया है। इसलिए 1986 से अभी तक, DoPT द्वारा जारी मोनोग्राफ में, CAPFs को केन्द्रीय ग्रुप 'A' सेवाओं के भाग के रूप में दिखाया गया है। इसलिए, इसके बाद यह DoPT के क्षेत्राधिकार में नहीं होगा कि, वह CAPFs को संगठित ग्रुप 'A' सेवाओं का एक घटक के रूप में न माने या अस्वीकृत करें।

23.5 अपीलार्थियों द्वारा अब तक के कथनों के अनुसार, CAPFs संगठित ग्रुप-A सेवा का एक घटक नहीं है, क्योंकि, वे सम्बंधित छः विशेषताओं में से दो विशेषताएँ पूरी नहीं करते हैं, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि, दिनांक 19.11.2009 के कार्यालय ज्ञापन में विशिष्टतया टिप्पणी की गई थी, कि, इसमें सूचीबद्ध विशेषताओं में से कुछ "लघु त्रुटियाँ" हो सकती हैं, और यह तक भी, कि, जिसमें बताया गया हो कि, यद्यपि, यदि सूची बद्ध विशेषताएँ पूरी कर ली जाती हैं, तो, वह सब स्वतः ही एक संगठित ग्रुप 'A' सेवा के प्रास्थिति को मानी नहीं जाएगी। इसलिए, उच्च न्यायलय द्वारा आपेक्षित निर्णय और आदेश में यह भली भाँति समझा गया कि, CAPFs की प्रास्थिति को निर्णित करते हुए विशेषताओं के अनुपालन / पूरा होने को अत्याधिक महत्व नहीं दिया जायेगा।

23.6 इस स्तर पर, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि, ITBP, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के मामले को विचार करते समय, यह DoPT के निदेशक को अतिरिक्त शपथ-पत्र में संदर्भित किया गया कि, चूंकि ITBP के पास उचित संरचना नहीं है, इसे अन्य संगठित सेवाओं जैसे BSF, CRPF से तुलना करना संभव नहीं होगा। इसलिए सरकार ने खुद ही, 21.10.1986 को, BSF और CRPF को संगठित सेवाओं के रूप में माना था और उन्हें संगठित सेवाओं के उदाहरण के रूप में भी प्रयोग किया था। पुनः यह देखा जाता है कि, इसके बाद सरकार ने अपनी ही प्रक्रिया द्वारा, BSF, CRPF और ITBP को 1986, 1993 और 2010 के मोनोग्राफ्स के अनुसार एक-समान के रूप में श्रेणी-बद्ध किया, जिसमें उपरोक्त CAPFs को केन्द्रीय सिविल सेवा ग्रुप 'A' के एक घटक के रूप में दिखाया गया था।

23.7 उच्च न्यायालय द्वारा जारी आपेक्षित निर्णयों और आदेशों से यह प्रतीत होता है कि, आपेक्षित निर्णयों और आदेशों को पारित करते हुए और CAPFs को संगठित ग्रुप-A केन्द्रीय सिविल सेवाओं के रूप में मानते हुए, उच्च न्यायालय ने द्वितीय प्रशासनिक सुधार समिति की रिपोर्ट को विचारा, जिसकी तालिका 4.1 में एक सूची के अंतर्गत भारत सरकार के सभी संगठित ग्रुप-A केन्द्रीय सेवाएँ शामिल हैं जिनमें अर्धसैनिक बल जैसे BSF, CISF, SRPF और ITBP को क्रम संख्या 22 से 25 तक क्रमशः दर्शाया गया है और तालिका के नीचे इस सूचना का स्रोत DoPT को ही बताया गया है।

23.8 उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों और रिकॉर्ड-तथ्यों पर विचार करते हुए, जिसे उच्च न्यायालय ने विस्तार से विचारा, यह नहीं कहा जा सकता कि, CAPFs संगठित ग्रुप-A केन्द्रीय सिविल सेवाओं / ग्रुप-A केन्द्रीय सिविल सेवाओं का घटक नहीं हो सकते हैं।

24. अब, एक अन्य कारण भी है जिसकी वजह से CRPF को NFFU देने की मनाही की गई कि, छठे केन्द्रीय वेतन आयोग ने सम्बंधित CAPFs को NFFU प्रदान नहीं किया है। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि, केन्द्रीय वेतन आयोग, किसी भी सेवा को “संगठित सेवाओं” के रूप में परिभाषित अथवा ऐसी प्रास्थिति प्रदान करने को प्राधिकृत नहीं है। केन्द्रीय वेतन आयोग सिफ़ारिश करता है केवल उन सूचनाओं के अनुसार जिन्हें विभिन्न विभाग उसे प्रदान करते हैं। रिकॉर्ड तथ्यों को देखने से पता चलता है कि, 1986 से ही, विभिन्न मोनोग्राफ्स में CAPFs को ग्रुप 'A' केन्द्रीय सिविल सेवाओं में सम्मिलित किया गया। सरकार ने यू-टर्न किया और निर्णय

लिया कि, CAPFs संगठित ग्रुप 'A' केन्द्रीय सेवाओं का घटक नहीं हैं, और, इसलिए, ऐसे निर्णय के आधार पर, विभाग ने केन्द्रीय वेतन आयोग को यह सूचना प्रदान की होगी और, इसलिए, छठे वेतन आयोग ने CAPFs को NFFU प्रदान नहीं करने के सिफारिश की थी। इसलिए, केवल इस आधार पर कि, छठे वेतन आयोग ने CAPFs के PB-III एवं PB-IV में ग्रुप 'A' अधिकारियों को NFFU प्रदान नहीं करने की सिफारिश की है, PB-III एवं PB-IV में ग्रुप 'A' अधिकारियों को NFFU प्रदान करने हेतु मनाही नहीं की जा सकती हैं, परन्तु जो केन्द्रीय सिविल सेवाओं के अन्य सभी ग्रुप 'A' अधिकारियों को मंजूर किया गया है।

24.1 यह भी ध्यान देने योग्य है कि, CAPFs को चौथे वेतन आयोग की सिफारिश अनुसार लाभ प्रदान किया गया था, वो भी विशिष्टतया MACP की योजना, जिसे केन्द्रीय ग्रुप 'A' सिविल सेवाओं को प्रदान किया गया था।

24.2 उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों एवं छठे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश की गई NFFU को प्रदान करने के लक्ष्य और कारणों पर विचार करते हुए, जब उच्च न्यायालय ने देखा और परिणामस्वरूप निर्देश दिया कि, CAPFs में PB-III एवं PB-IV के सभी अधिकारी संगठित ग्रुप 'A' सेवा के हैं और इसलिए, छठे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए NFFU के लाभ को प्राप्त करने के हकदार हैं और तद्वारा अपीलार्थियों को निर्देश दिया कि, वह एक बांछित अधिसूचना जारी कर छठे वेतन द्वारा सिफारिश अनुसार NFFU का लाभ प्रदान करें। यह नहीं कहा जा सकता है कि, उच्च न्यायालय ने कोई त्रुटि की है, जिसमे इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। हम उच्च न्यायालय के निर्णय से पूर्ण सहमत हैं।

25. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर, प्रस्तुत अपीलें जो SLP(Civil) No. 35548-35554/2015 एवं 13937/2016 से उद्भूत हैं, खारिज हेतु योग्य हैं और तदनुसार खारिज की जाती हैं। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, कोई कॉस्ट (cost) नहीं।

SLP (C) CC No. 5735/2016, SLP (C) CC No. 5736/2016,

SLP (C) CC No. 5737/2016, SLP (C) CC No. 5738/2016,

SLP (C) CC No. 5743/2016, SLP (C) CC No. 5742/2016, &

SLP (C)CC No. 5740/2016

26. जहाँ तक कि, इन याचिकाओं द्वारा SLP दायर करने की वांछित आज्ञा से सम्बन्ध हैं, सिविल अपील @ SLP © No. 12393/2013, में बताए गए कारणों के मद्देनजर, और उसी प्रकार से हम उच्च न्यायलय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश से सहमत हैं, और अन्यथा भी, इस तथ्य को विचारते हुए कि, RPF को एक संगठित ग्रुप 'A' केन्द्रीय सेवा की प्रास्थिति प्रदान करते हुए, IPS के अधिकार, यदि कोई हो, RPF में कुछ पदों पर उनकी प्रतिनियुक्ति हेतु केवल इसलिए प्रभावित नहीं होंगे क्योंकि, RPF में कुछ पदों को प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाना है। RPF को संगठित ग्रुप 'A' सेवा की प्रास्थिति प्रदान करने से IPS प्रभावित नहीं होंगे। SLP दायर करने की आज्ञा हेतु सभी आवेदन इंकार करने योग्य है और इसलिए इंकार करे जाते हैं।

....., न्यायाधीश
(रोहिंटन फली नरीमन)

....., न्यायाधीश
(एम. आर. शाह)

नई दिल्ली,
05 फ़रवरी, 2019

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सिमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि, वो अपनी भाषा में इसे समझ सके एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जायगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।